न्यायालय :—उपखण्ड अधिकारी—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

प्रार्थना पत्र सं0— :— 132/2025

1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री बाबूलाल यादव उम्र 63 वर्ष, निवासी 112 आफिसर्स कैम्पस
जनक मार्ग, सिरसी रोड, जयपुर जिला जयपुर राज0 जरिये मुख्त्यारआम बाबूलाल यादव पुत्र
श्री बंशीधर यादव उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड सं. 7, ढाणी लेखूवाली ग्राम बिलान्दरपुर, तहसील
शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 ...प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

.....अप्रार्थी

<u>प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांक: 23/4/26

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 4504 रकबा 0.0700 है0, 5077/4505 रकबा 1.1647 है0, 5080/4763 रकबा 0.2619 है0, 5082/4810 रकबा 1.5741 है0 कुल किता 4 रकबा 3.0707 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम है। प्रार्थी उक्त आराजी में अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किसी दीगर व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीया महिला है जो अपनी उक्त जिमन नं. 1 में वर्णित भूमि की काश्त करते समय सीमा का सही रूप में निर्धारण नही कर पाती है जिससे सही रूप में काश्त नही कर पाती है। भूमि प्रश्नगत पर वर्षात के समय सीमाये वर्षात के पानी से कटाव के कारण प्रभावित हो जाती है, जिससे प्रार्थीया सीमाओ का सही रूप में कटाव रोकने में कच्च/पक्का कार्य करने में असमंजस मे रहती है। प्रार्थीया की भूमि प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति से गांव की आबादी से दूर है तथा पहाडी व जंगलात से थोडी ही दूरी पर होने के कारण प्रार्थीया हमेशा अपनी भूमि पर नही रह पाती है जिससे वर्षात के समय कटाव आदि को समय पर नही रोक पाती है, जिसके अभाव में प्रार्थीया अपनी भूमि का सही रूप में कृषि कार्यो में उपयोग करने में परेशानी/तकलीफ महशूस करती है। प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक है जो हमेशा अपनी उक्त वर्णित जमीन पर रूक नही पाती है जिससे जमीन की सुरक्षा करने में प्रार्थीय को बडी परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी/सीमा निश्चयीकरण करवा कर अपनी उक्त भूमि की सीमाओं पर पुख्ता बाउन्ड्री बनवा कर तथा बाउन्ड्री के साथ तारबन्दी, जाल लगवा कर सुरक्षा करना चाहती है जिसके लिए अपनी भूमि की पत्थरगढी/सीमा निश्चयीकरण करवाना आवश्यक है जिससे की किसी को कोई परेशानी भी नही होवें। इसलिए प्रार्थीया की भूमि का पत्थरगढी किया जाना न्यायसंगत हैं । प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का ऑनलाइन सीमाज्ञान आदेश टोकन सं. 2025/12608/05 दिनांक 10.12.2025 की पालना में दिनांक 01.01.2026 को हाल

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

आराजी खसरा नं0—4504 रकबा 0.0700 है0, 5077/4505 रकबा 1.1647 है0, 5080/4763 रकबा 0.2619 है0, 5082/4810 रकबा 1.5741 है0 कुल किता 4 रकबा 3.0707 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुरका सक्षम राजस्व कर्मचारी व अधिकारियो से खातेदारान व उपस्थित व्यक्तियो की उपस्थिति में सीमाज्ञान भी करवा लिया है फर्द मौका सीमाज्ञांन दिनांक—01.01.2026 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामिल हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। वकील प्रार्थी द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थीया के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 4504 रकबा 0.0700 है0, 5077/4505 रकबा 1.1647 है0, 5080/4763 रकबा 0.2619 है0, 5082/4810 रकबा 1.5741 है0 कुल किता 4 रकबा 3.0707 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 01.01.2026 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...23/4/26... को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी *
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर